न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 85 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 146

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
खीमाराम पुत्र दानाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मंडापुरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.पोनीदेवी पुत्री तगाराम 2.भगवानाराम पुत्र तगाराम 3.भीखीदेवी पत्नी तगाराम 4.लीलादेवी पत्नी तगाराम 5.सुजाराम पुत्र तगाराम 6.हवादेवी पुत्री तगाराम जाति सुथार निवासी आकड़ली धनसिंह तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 7.गौतमचंद पुत्र भंवरलाल जाति माली 8.लक्ष्मण पंवार पुत्र राजूराम जाति माली निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा 9.जगदीश पुत्र धंमड़ाराम जाति खारोल (खारवाल) निवासी पचपदरा व जिला बालोतरा 10.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) ✻ बालोतरा ✻

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 23.07.24

Signature Not Verified
Digitally Signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:07:24 IST
Reason: Self Attested

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] भूमि ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 7[illegible] भूमि अवस्थित है। जि[illegible] प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भू[illegible] सेढा सेढ विप्रार्थीगण की [illegible] आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

जाती है और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 755 क्षेत्रफल 0.2276 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 755 क्षेत्रफल 0.2276 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। अन्त मे निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 755 क्षेत्रफल 0.2276 हैक्टयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश किया जावें।

4.हमनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 755 क्षेत्रफल 0.2276 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा [illegible])

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं के [illegible] विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर [illegible] मौका फर्द दिनांक 02.3.2024 अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद होता प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में निहित प्रावधानो के तहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:07:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

हस्तगत प्रकरण का निस्तारण न्यायालय हाजा से ही किया जाना है। विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस के उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किए जाने पर विप्रार्थी को आपति नहीं है। यदि होती तो उजर–एतराज पेश करते,लेकिन ऐसा विप्रार्थी द्वारा नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी अधिवक्ता अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहा है।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किए जाते है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 मे विहित प्रक्रिया के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 755 क्षेत्रफल 0.2276 हैक्टेयर भूमि की सीमाज्ञान करवाकर नेखम स्थापित करें। उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हो।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

आदेश आज दिनांक 23.7.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:07:24 IST
Reason: SelfAttested